



रजिन0न0एल0डब्लू/एल0पी0890  
लाइसेंस न0डब्लूपी0-41  
लाइसेंस व पोस्ट एण्ड कॉन्सनल

## सरकारी गजट उत्तर प्रदेश

### उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

साधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4 खण्ड (ख)

परिनियत आदेश

लखनऊ मंगलवार 19 दिसम्बर 2000

अग्रहायण 28 1922 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबंधन अनुभाग-5

सं0 क0नि0-5-13/11-2001-500(80)-98

लखनऊ 2 फरवरी 2001

अधिसूचना

प0आ0 1571

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा-1 के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से सरकारी अधिसूचना सं0 क0नि0-5-7243/11-2000-500(80)-98 दिनांक 19 दिसम्बर 2000 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

#### संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में प्रथम पैरा में खण्ड (क) में शब्दों में और अंको में 6 नवम्बर, 1996 के स्थान पर शब्द और अंक 23 मई 1992 रख दिये जाएंगे।

आज्ञा से  
टी0जार्ज जोसेफ  
प्रमुख सचिव ।